राजस्थान सरकार

जरिये ई–मेल अतिआवश्यक

Government of Rajasthan

निदेशालय, खान एवं भू विज्ञान

DIRECTORATE OF MINES & GEOLOGY,

खनिज भवन/Khanij Bhavan उदयपुर/Udaipur-313001

दूरभाष/Phones: 2415091-95 फैक्स/Fax: (0294) 2410526

क्रमांकः–निदे/अनिखा/पर्या/सिलिको–नीति/2019/409 – 470 दिनांक 11.02.2020

अतिरिक्त निदेशक खान, जोन– जयपुर/जोधपुर/कोटा/उदयपुर।
अधीक्षण खनि अभियंता वृत– जयपुर/जोधपुर/अजमेर/भीलवाड़ा/राजसमंद/उदयपुर /बीकानेर/कोटा/भरतपुर।
खनि अभियंता– जयपुर/जोधपुर/उदयपुर/कोटा/अजमेर/बीकानेर/सिरोही/सीकर/अलवर/आमेट/ राजसमन्द–प्रथम/द्वितीय/ बून्दी–प्रथम/द्वितीय/नागौर/रामगंजमंडी /झून्झूनू /सोजतसिटी/भीलवाड़ा/धौलपुंर/बिजौलिया/चित्तौड़गढ़/मकराना/करौली/प्रतापगढ़/ब्यावर/डूॅंगरपुर/जालौर/बॉसवाड़ा/ श्रीगंगानगर/ बाड़मेर/जैसलमेर/ भरतपुर
सहायक खनि अभियंता–
सलूम्बर/ऋषभदेव/टोंक/बालेसर/निम्बाहेड़ा/कोटपूतली/गोटन/झालावाड़/सवाईमाधोपुर/बांरा/दौसा/चूरू/हनुमानगढ़/नीमकाथाना/रूपवास/ सावर/ब्यावर

विषय :– सिलिकोसिस पीडित व्यक्तियों को पेन्शन दिये जाने के सम्बन्ध में।

संदर्भ :– सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग का आदेश क्रमांक एफ.9(05)(12–II)सासुपें/पेंशन नियम/सान्याअवि/2014–15/12468 जयपुर दिनांक 16.01.2019 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के संदर्भित पत्र दिनांक 16.01.2019 की प्रति संलग्न कर आदेशानुसार अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं।

11-2-20

(एम.पी. मीणा)
अतिरिक्त निदेशक (खान)
(पर्यावरण एवं विकास)

क्रमांकः–निदे/अनिखा/पर्या/सिलिको–नीति/2019/471 –73 दिनांक 11.02.2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं–

1. प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर को उनके संदर्भित पत्र दिनांक 16.01.2019 के क्रम में।
2. संयुक्त शासन सचिव, खान (ग्रुप–1) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को।
3. प्रभारी अधिकारी, डी.एम.जी.ओ.एम.एस. को प्रति प्रेषित कर लेख हैं कि इसे विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करानें का श्रम करावें।

11-2-20

(एम.पी. मीणा)
अतिरिक्त निदेशक (खान)
(पर्यावरण एवं विकास)

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जी–3/1, अम्बेडकर भवन, राजमहल रेजीडेन्सी क्षेत्र, जयपुर
ई–मेल:adpensionsjed@gmail.com दूरभाष: 0141– 2740637

क्रमांक :–एफ.9(05)(12–II)सासुपें/पेंशन नियम/सान्याअवि/2014–15/ 12468 जयपुर दिनांक 16/12/19

आदेश

राजस्थान सिलिकॉसिस नीति 2019 के अनुसार सिलिकॉसिस पीडित व्यक्ति के लिए निम्नानुसार पेंशन राशि स्वीकृत की जाती है–

क्र.स.	विवरण	पेंशन की दर
1	सिलिकॉसिस बीमारी से पीडित व्यक्ति, जो राज्य सरकार द्वारा जारी न्यूमोकोनियोसिस पॉलिसी (Policy on Pneumoconiosis) के अन्तर्गत गठित विशेषज्ञ समिति से जारी प्रमाण–पत्र धारक हो, के मामले में–	राशि रुपए 1,500/– प्रति माह

इसकी पात्रता निम्नानुसार होगी:–

1. वह व्यक्ति प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा सिलिकॉसिस बीमारी से पीडित होने का प्रमाण–पत्र धारक हो।
2. वह व्यक्ति राजस्थान का निवासी हो।
3. राजस्थान में कार्यरत श्रमिक, जो चाहे अन्य राज्य का निवासी हो परन्तु जो राजस्थान में कार्य करने के दौरान सिलिकॉसिस बीमारी से पीडित हुआ हो, इस हेतु पात्र माना जाएगा।
4. यदि सिलिकॉसिस बीमारी से पीडित व्यक्ति किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन का भी पात्र है, तो उसे उस श्रेणी अथवा सिलिकॉसिस पेंशन, दोनों में से जो अधिक लाभदायक हो, उस श्रेणी में पेंशन स्वीकृत की जाएगी।
5. सिलिकॉसिस बीमारी से पीडित व्यक्ति को पेंशन स्वीकृत करने के लिए आय की सीमा की कोई बाध्यता नहीं होगी।
6. सिलिकॉसिस प्रमाण–पत्र जारी होने से पेंशन स्वतः स्वीकृत हो जाएगी।

उक्त आदेश वित्त (व्यय–2) विभाग की आई.डी. संख्या 101905241 दिनांक 22.11.2019 के द्वारा दी गई सहमति के आधार पर जारी किया जाता है।

उक्त आदेश दिनांक 16.12.2019... से प्रभावी होगा।

(अखिल अरोरा)
प्रमुख शासन सचिव